

17/05/22. पञ्जाब काठ पेरा हुँदा कारील छापी  
 स्थिति। कारील छापी द्वारा विभागीय  
 के बाबत डाक द्वारा भेजकर रसीद  
 भेज की। रसीदें सम्मिलित पञ्जाब की  
 गरीं विभागीय अनुपस्थित विभागीय  
 के कोर्ट समय में तीव्र कार तीव्र-तीव्र  
 विधि विचार गरीं। बाबत के  
 विधि के अनुपस्थित रहे के  
 विभागीय के खिलाफ एकतरफा  
 कार्यवाही की जाती है कारील छापी  
 के एक हुँदा। इस न्यायालय द्वारा  
 अंतरिम विचारना दिनांक 13/04/22  
 इस का के विचारण तक पुष्ट (confirm)  
 की जाती है पञ्जाबी विधि सुनार हेतु  
 इस का के साथ नवी है।



(YMI)

बहायत कलेक्टर, गुडामाला